फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री प्रकाशचन्द्र

किस्म मुकदमा –53,88,188 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्रीमती प्रेमबाई

पत्रावली संख्या : 44/23

जीसीएमएस : 2023/89

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 07.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. प्रर बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का पेश कर अन्तिम वसीयत अपने नाम होना बताकर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी का कथन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत वसीयत फर्जी तरीके से करवाया गया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि अप्रार्थी/वादी स्वयं द्वारा वादपत्र के साथ 100/– स्टाम्प पर अंकित अनरजिस्टर्ड वसीयत पेश की गई जो दिनांक 15.10.2006 को निष्पादित होना प्रतीत होती है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा भी एक वसीयत पेश की गई है जो दिनांक 05.06.2018 को निष्पादित होना प्रतीत होती हैं। दोनो वसीयत अनरजिस्टर्ड है। चूंकि वादी का वाद व प्रतिवादी का काउन्टर वाद केवल मात्र वसीयत के आधार पर किया गया हैं। दोनो वसीयत को वादी व प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी जा रही है। अतः जब तक उक्त दोनो वसीयत की सत्यता सक्षम न्यायालय से तय नहीं हो जाती है तब तक उक्त दस्तावेज के आधार पर सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अ.एवं प्रतिवादी संख्या 5 का प्रतिवाद बार्ड बाई ला होने से खारिज योग्य पाया जाता हैं। चूंकि प्रकरण में वादीगण द्वारा धारा 53 राजस्थान [illegible] अधिनियम के तहत् बंटवाडा भी चाहा गया [illegible] के वादीगण सहखातेदार भी हैं। इसलिए [illegible] किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता हैं। उपरोक्त विवे[illegible] के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आंशिक स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:19:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली
सत्यमेव जयते

88 रा.का.अ. व प्रतिवादी संख्या 5 का प्रतिवाद खारिज किया जाता हैं। वादी का वाद धारा 53 के अन्तर्गत जारी रहेगा। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

पत्रावली वास्ते तलबी नम्बर 1 से 4, 8/जवाब दावा नम्बर 6, 7 दिनांक 24.02.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ★ (फास्ट ट्रेक) मावली ★ सत्यमेव जयते

7/1/25

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

24/02/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान अनुपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। समय सॉय ५:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान अब तक अनुपस्थित हैं। अत: अधिवक्ता वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद व अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5 मय प्रतिवादी सं. 5 अनुपस्थित रहने पर प्रतिवाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ★ (फास्ट ट्रेक) मावली ★ सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:19:34 IST
Reason: SelfAttested